न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
108 / 2025	28 / 08 / 2025	06.01.2026

1— मांगी बाई पत्नि लटूरलाल जाति गूजर निवासी ककावता
2— गंगा बाई पत्नि हजारीलाल जाति गूजर निवासी ककावता
3— पारी बाई पुत्री मथुरा जाति गूजर निवासी ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4— कल्याण माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूंदीं राज०
5— रामनिवास माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूंदीं राज० राज०
6— भरोसी बाई माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूंदीं राज० राज०
7— छोटा बाई माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूंदीं राज० राज०

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री श्याम बैरवा एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी क्रम 1 मांगी बाई व वादी क्रम 2 गंगा बाई के ससुर वादी क्रम 3 पारी बाई के पिता तथा वादी क्रम 4 से लगायत 7 के नाना मथुरा पुत्र हीरा जाति गूजर निवासी ककावता के वाके माल ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान के पुराने खसरा नंबर 204 / 34 रकबा 10 बीघा भूमि मथुरा पुत्र हीरा के आवंटित की गई, बाद आंवटन खसरा नंबर 204 / 34 रकबा 10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड पर मथुरा पुत्र हीरा को गैरखातेदार दर्ज किया गया। ग्राम ककावता की जमाबन्दी संवत 2036 से 39 के राजस्व रिकॉर्ड में मृतक मथुरा पुत्र हीरा गूजर का नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिसका खसरा नं. 204 / 34 रकबा 10 बीघा है। उक्त भूमि पर मृतक मथुरा पुत्र हीरा गूजर अपने जीवनकाल में काश्त करते चले आ रहे थे और वर्तमान में उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है। कालान्तर में राजस्व विभाग द्वारा मथुरा पुत्र हीरा गूजर के गैर खातेदार की भूमि 204 / 34 रकबा 10 बीघा पर दिनांक 9.9.1983 को पटटा कम सख्यां 13 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, और खातेदारी पटटा जारी किया गया, राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये खातेदारी पटटे का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं किये जाने के कारण आज तक उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे गैर खातेदार के रूप में दर्ज चली आ रही है। जबकि प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का दायित्व था कि खातेदारी पटटे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त भूमि को खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था। सेटलमेंट विभाग द्वारा मथुरा पुत्र हीरा के गैर खातेदारी में दर्ज वर्णित आराजी 204 / 34 रकबा 10 बीघा के नवीन खसरा नंबर 161 रकबा 1.74 हैक्टर भूप्रंबध विभाग द्वारा बनाया गया। ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की जमाबंदी संवत 2036 से 39 के

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मुताबिक साबिक खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि वादी कम 1 मांगी बाई के पति लटूर पुत्र मथुरा गूजर निवासी ककावता के खाते दर्ज है। जिस पर खातेदार लटूर पुत्र मथुरा अपने जीवनकाल में काबिज काश्त चला आ रहा था। लटूर पुत्र मथुरा के खाते दर्ज साबिक खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा के सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हैक्टर, बनाया गया। जिस पर लटूर पुत्र मथुरा काबिज काश्त चला आ रहा था। लटूर पुत्र मथुरा के कोई भी सुलभी औलाद पुत्र व पुत्री नहीं होने के कारण लटूर पुत्र मथुरा की एक मात्र वारिस मांगी बाई पत्नि लटूर ही वर्तमान में काबिज काश्त चली आ रही है। ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की जमाबंदी संवत 2036 से 39 के मुताबिक साबिक खसरा नंबर 244/54 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि वादी कम 2 गंगा बाई के पति हजारी पुत्र राध्या गूजर निवासी ककावता के खाते राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिस पर अपने जीवनकाल में हजारी पुत्र राध्या गूजर ही काबिज काश्त चला आ रहा था। सेटलमेंट विभाग द्वारा हजारी पुत्र राध्या गूजर के खाते दर्ज साबिक खसरा नंबर 244/54 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा नंबर 106/244 रकबा 1.00 हैक्टर बनाया गया। हजारी पुत्र राध्या गूजर के फौत हो जाने के बाद व उसके कोई भी सुलभी औलाद पुत्र व पुत्री नहीं होने के कारण उक्त भूमि पर वादी कम 2 हजारी पुत्र राध्या की पत्नि गंगा बाई ही काबिज काश्त चली आ रही है। खातेदार हजारी वास्तविक रूप से मथुरा का पुत्र है। हजारी का प्राकृतिक पिता मथुरा पुत्र हीरा है। लेकिन मृतक हजारी अपनी बाल्यावस्था में मथुरा के भाई राध्या उर्फ राधेश्याम के गोद चले जाने के कारण वल्दियत में हजारी पुत्र राध्या उर्फ राधेश्याम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मृतक खातेदारान मथुरा पुत्र हीरा गूजर व हजारी पुत्र मथुरा गूजर दत्तक पुत्र राध्या गूजर, लटूर पुत्र मथुरा गूजर के सेटलमेंट पूर्व उपरोक्त वर्णित भूमियां सभी के पृथक पृथक खाते राजस्व रिकॉर्ड दर्ज थी लेकिन सभी खातेदारान पिता पुत्र होने से सेटलमेंट विभाग द्वारा सभी के खाते दर्ज वर्णित भूमियों को एक ही खाते में दर्ज कर दिया गया। और तीनो खातेदारान का सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट बदोंबस्त कार्यवाही राजस्व मंडल नियम 1957 के अन्तर्गत मथुरा पुत्र हीरा 10 बीघा, लटूर पुत्र मथुरा 10 बीघा हजारी पुत्र राध्या 5 बीघा खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हैक्टर, खसरा नं. 61 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नं. 106/244 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.85 हैक्टर दर्ज किया गया। और सभी को गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग को सेटलमेंट से पूर्व खाते राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रिकॉर्ड को ही पुनः रिकॉर्ड में दर्ज करने का अधिकार है। सेटलमेंट से पूर्व के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का सेटलमेट विभाग को कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए सेटलमेंट विभाग द्वारा लटूर पुत्र मथुरा के सेटलमेंट से पूर्व खाते दर्ज साबिक खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा के नवीन खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हैक्टर को गैरखातेदार में दर्ज करने का अधिकार नहीं था। व हजारी पुत्र राध्या के खाते दर्ज सेटलमेंट से पूर्व दर्ज साबिक खसरा नंबर 244/54 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा नंबर 106/244 रकबा 1.00 हैक्टर को गैरखातेदार दर्ज करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं था। सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाया गया प्रमाणांकन साबिक खसरा नंबर 204/34 नवीन रकबा 10 बीघा नवीन खसरा नंबर 161 रकबा 1.74 हैक्टर साबिक खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा नवीन खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हैक्टर, साबिक खसरा नंबर 244/54 रकबा 5 बीघा नवीन खसरा नंबर 106/244 रकबा 1.00 हैक्टर का पर्चा नोटिस मिलान क्षेत्रफल रजिस्टर में पुराने नंबर, नये नंबर दर्ज करने हेतु जारी किया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 204/34 रकबा 10 बीघा के

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

नवीन खसरा नंबर 161 रकबा 1.74 हैक्टर दर्ज किया गया। जो पुराने रकबा की तुलना में 0.24 हैक्टर अधिक हैं। इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा का नवीन खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हैक्टर बनाया गया जो पुराने रकबा की तुलना में 0.51 हैक्टर अधिक दर्ज किया गया। इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 244/54 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा नंबर 106/244 रकबा 1.00 हैक्टर बनाया गया। जो पुराने रकबा की तुलना में 0.20 हैक्टर अधिक दर्ज किया गया। इस प्रकार ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित नवीन खसरा नंबर की कृषि आराजी खसरा नंबर 106/244 रकबा 1.00 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 161 रकबा 1.74 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर, तथा खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4. 00 हैक्टर पर वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। सेटलमेंट विभाग को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि मृतक खातेदार लटूर पुत्र मथुरा, हजारी पुत्र राध्या, व मथुरा पुत्र हीरा के खाते दर्ज उपरोक्त वर्णित भूमियों को नवीन खसरा नंबर बनाते समय गैर खातेदार दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जबकि वादीगण को यह अधिकार प्राप्त हैं कि अपने ससुर पिता व नाना के खाते दर्ज वर्णित नवीन खसरा नंबर की भूमियों पर वादीगण स्वयं जमाबन्दी में वर्णित हिस्सानुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। सम्पूर्ण वर्णित नवीन खसरा नंबर की नवीन जमाबन्दी में वादी कम 2 गंगा के पति हजारी का पृथक से हिस्सा 1/5 दर्ज होने से वादी गंगा बाई पत्नि हजारीलाल को सम्पूर्ण आराजी में 3/10 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे तथा शेष वादीगण को अपने अपने दर्ज हिस्सानुसार वर्णित जमाबन्दी के राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार को दुरस्त किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे। वादी कम 2 के पति का नाम जमाबन्दी सम्वत 2036 से 39 में हजारी पुत्र राध्या दर्ज है। लेकिन कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत 2057-60 बनाते समय राजस्व विभाग द्वारा वादी कम 2 के पति हजारी पुत्र राध्या के स्थान पर हजारी पुत्र रूघा गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया गया, जिसको दुरस्त किया जाकर हजारी पुत्र राध्या गूजर दर्ज किया जावे। वादीगण द्वारा कई मर्तबा राजस्थान सरकार के लेण्डहोल्डर तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष उपस्थित होकर कई मर्तबा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया अन्तिम बार वादीगण द्वारा दिनांक 8.8. 2025 को तहसीलदार पीपल्दा से रिकॉर्ड दुरस्ती हेतु निवेदन किया गया, तहसीलदार पीपल्दा द्वारा माननीय न्यायालय मे वाद दायर करने की हिदायत देते हुये स्पष्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 08. 08.2025 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादर डिक्री व निर्णय पारित किया जावे ग्राम ककावता पटवार हल्का सीनोता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 106/244 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 161 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नं. 55 रकबा 1.60 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.00 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैरखातेदार को दुरस्त किया जाकर सभी खातेदारान वादीगण को खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तथा वादी कम 2 गंगा बाई को अपने ससुर हजारी पुत्र मथुरा से अपने पति के हिस्से से प्राप्त होने वाली आराजी 1/10 हिस्सा व अपने पति हजारी पुत्र राध्या के हिस्से दर्ज 1/5 अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 3/10 हिस्से की खातेदार दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

की गई। मुताबिक जवाब सरकार वर्तमान जमाबंदी ग्राम ककावता के खाता सं0 85 ख0नं0 106/244 रकबा 1.00 है0, 161 रकबा 1.74 हेक्टर एवं खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.85 है0, कल्याण रामनिवास पुत्र छोटा बाई भरोसी बाई पुत्रिया मांगीलाल हिस्सा 1/10 हि0 बरा0 गंगाबाई पत्नी स्वर्गीय हजारीलाल हिस्सा 1/10, पारीबाई पुत्री मथुरा हिस्सा 1/10, मांगी बाई पत्नी स्वर्गीय लटूर लाल हिस्सा 1/2, हजारी पुत्र रकबा हिस्सा 1/15 जाती गुर्जर सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत 2036–2039 के अनुसार खाता संख्या 77 मथुरा पुत्र हीरा गुर्जर सा देह गैर खातेदार खसरा नंबर 204/34 रकबा 10 बीघा खाता संख्या 107 में हजारी पुत्र राध्या गुर्जर निवासी ककावता खसरा नंबर 244/54 रकवा 5 बीघा एवं खाता संख्या 110 में लटूर पुत्र मथुरा गुर्जर सा0देह खाता नंबर 236/34 रकवा 10 बीघा दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट से पूर्व तीन खाते अलग–अलग दर्ज रिकॉर्ड थे लेकिन सेटलमेंट के समय तीनों खाता के सम्मिलित करते हुए एक ही खाते में संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड किया गया। खसरा नंबर 204/34 रखवा 10 बीघा के हाल नंबर 161 रकबा 1.74 है0 दर्ज है जबकि वर्तमान रकबा 1.62 है0 बनता है जो कुल रकवे से 0. 12 है0 अधिक है खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नंबर 55 रकवा 2. 11 है0 दर्ज है जो मूल रकबे से 0.49 है0 अधिक है तथा खसरा नंबर 244/54 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 106/244 रखवा 1.00 है0 दर्ज है जबकि वर्तमान रकबा 0.81 है0 बनता है जो कुल रकबा से 0.19 है0 अधिक है कुल किता 3 रकबा 25 बीघा हाल रकबा 4.85 है0 दर्ज है जो की रकबा 25 बीघा का रकबा 4.05 है0 बनता है अतः मूल रकबे से कुल 0.80 है0 अधिक रकबा दोराने सेटलमेंट दर्ज किया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 161 से 0.12 है खसरा नंबर 55 से 0.49 है0 तथा खसरा नंबर 106/244 से 0.19 है0 भूमि सिवायचक किया जाना उचित रहेगा एवं खाते खसरा नंबर अनुसार पृथक पृथक दर्ज किया जाना उचित रहेगा। खातेदारी दिए जाने संबंधित दस्तावेज स्वयं वादी मानवीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सिद्ध करें।

तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादी ग्राम ककावता प. ह. सीनोता तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 206/244 रकबा 0.80 है0 खसरा नंबर 161 रखवा 1. 60 है0 खसरा नंबर 55 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 रकबा 4.00 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख के में गैर खातेदारी को दुरुस्त करवा कर खातेदार दर्ज करने के हकदार हैं।
   – वादी

2. आयावादी कम 2 गंगाबाई संपूर्ण आरजी में 3/10 हिस्से की खातेदार दर्ज करने के हकदार है।
   –वादी

3. आया मृतक हजारीलाल का अपने प्राकृतिक पिता मथुरा पुत्र हीरा की संपत्ति में हिस्सा नहीं बनता है
   – प्रतिवादी

4. अनुतोष

वादी ने साक्ष्य वादी पी0डब्ल्यू0 1 मांगीबाई, पी0डब्ल्यू0 2 गंगाबाई, पी0डब्ल्यू0 3 पारीबाई, पी0डब्ल्यू0 4 कल्याण के शपथ पेश किए। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं0 2036–39 ककावता 204/34 दिनांक 24.07.2025 प्रदर्श पी–1, नकल

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

खातेदारी सनद पट्टा दिनांक प्रदर्श पी–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39 ख0नं0 244/54, 236/34 ककावता प्रदर्श पी–3, सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल ककावता प्रदर्श पी–4, पर्चालगान सेटलमेंट विभाग ककावता प्रदर्श पी–5, नकल जमाबन्दी सं0 2041–60 ककावता दिनांक 16.07.2022 प्रदर्श पी–6, नकल जमाबन्दी सं0 2057–60 ककावता दिनांक 16.08.2022 प्रदर्श पी–7, नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 ककावता दिनांक 16.08.2025 प्रदर्श पी–8, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 ककावता दिनांक 16.08.2025 प्रदर्श पी–9, नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 ककावता दिनांक 12.08.2025 प्रदर्श पी–10 पेश किए।

अधिवक्तावादी ने बहस के दौरान वाद पत्र के बिंदुओं को दोहराया तथा चाहे गए और अनुतोष के मुताबिक वाद डिक्री का निवेदन किया। पत्रावली में वाद पत्र जवाब सरकार साक्ष्यवादी तथा बहस के समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तनकीवार निम्न निर्णय पारित किया जाता है–

1. तनकी संख्या 1. ''आया वादी ग्राम ककावता प. ह. सीनोता तह0 पीपल्दा जिला कोटा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 206/244 रकबा 0.80 है0 खसरा नंबर 161 रखवा 1.60 है0 खसरा नंबर 55 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 रकबा 4.00 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख के में गैर खातेदारी को दुरुस्त करवा कर खातेदार दर्ज करने के हकदार हैं।'' को साबित करने का भार वादी पर था। सर्वप्रथम मुताबिक वाद पत्र के अभीकथन साक्ष्यवादी तथा तहसील रिपोर्ट के अनुसार साबिक खसरा नंबर 204/34 रकबा 10 बीघा, ख0नं0 236/34 रकबा 10 बीघा तथा 244/54 रकबा 5 बीघा का हाल खसरा नंबर क्रमशः 161 रकबा 1.74 है0, खसरा नंबर 55 रकबा 2.11 है0 तथा ख0नं0 106/244 रकबा 1.00 है0 से मिलान की पुष्टि होती है। मुताबिक तहसील रिपोर्ट तथा गणितीय गणना (mathematical calculation) खसरा नंबर 204/34 से खसरा नंबर 161 सर्जन के उपरांत 0.24 है0 की बेशी, खसरा नंबर 236/34 से खसरा नंबर 55 के सृजन पर 0.51 है0 की वृद्धि तथा खसरा नंबर 244/54 से 106/244 के निर्माण पश्चात 0.20 है0 अधिक रकबा दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श एक जमाबंदी संवत 2036–39 की सत्य प्रति (जो की साक्ष्य के रूप में स्वीकार की गई) के अनुसार खसरा नंबर 204/34 रकबा 10 बीघा किस्त उतार दोयम भूमि पर मथुरा पुत्र हीरा बतौर गैर खातेदार दर्ज है इस भूमि पर दिनांक 09.09.1983 को पट्टा प्रदान कर खातेदारी अधिकार जिलाधीश (उपनिवेश) कोटा द्वारा निर्धारित भुगतान प्राप्त कर प्रदान किए गए जो कि प्रदर्श 3 साबित हैं। प्रदर्श 2 जमाबंदी संबंध 2036–39 लटूर पुत्र मथुरा का खसरा नंबर 236/34 रकबा 10 बीघा तथा हजारी पुत्र राध्या का ख0नं0 244/54 रकबा 5 बीघा पर बतौर खातेदार नाम अंकित है यह सत्य प्रतिलिपि है जो की राजकीय दस्तावेज है अतः साक्ष्य के रूप में स्वीकार है। प्रदर्श –6 सेटलमेंट विभाग राजस्व अभिलेख में 3 पृथक खाता खसरा नंबर 204/34, 236/34 तथा 244/54 को एक ही खाते में दर्ज कर पूर्व के तीनों खातेदारी मथुरा पुत्र हीरा 2/5 हिस्सा लटूर पुत्र मथुरा 2/5 हिस्सा तथा हजारी पुत्र राध्या 1/5 हिस्सा को गैर खातेदार दर्ज कर जो कि बिना सक्षम न्यायालय आदेश के होने के कारण त्रुटि पूर्ण नियम विरुद्ध एवं एक तरफा है। विभाग को एक खातेदार काश्तकार को पुनः गैर खातेदार दर्ज करने का अधिकार नहीं था तथा तीनों खसरों में रकबा में वृद्धि क्रमशः 0.24 है0,

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

0.51 है0 तथा 0.20 है0 की गई है जो कि गलत रूप से अंकित की गई है। तत्पश्चात प्रदर्श 7,8,9,10 में संलग्न जमाबंदियों में यह अंकन जारी रहा है हालांकि प्रदर्श 7, 8, 9, 10 साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है क्योंकि ये सक्षम कार्यालय धारक से सत्य प्रति के रूप में सत्यापित नहीं है इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा खातों का समंकन तथा रकबो का अंकन गलत होने के कारण निरस्तणीय एवं संशोधनीय है। प्रदर्श 4 एवं 5 क्रमशः प्रमाणाकन के लिए पर्चा नोटिस तथा पर्चा लगान ही प्रतिलिपि है। इस प्रकार वादी सेटलमेंट पूर्व के राजस्व अभिलेख मुताबिक खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तदनुसार अंकल कराने के हकदार हैं। साथ ही खसरा नंबर 161 के 1.74 है0 में बेसी, रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 55 के 2.11 है0 में 0.51 है0 बेशी रकबा तथा खसरा नंबर 106/244 रकबा 1.00 है में 0.20 है0 बेशी रकबा होने के कारण इसे पुनः सिवायचक खाता सरकार दर्ज करना भी आवश्यक है अतः तनकी सं0 1 बहक वादी तय की जाती है।

2. तनकी संख्या 2 ''आयावादी क्रम 2 गंगाबाई संपूर्ण आरजी में 3/10 हिस्से की खातेदार दर्ज करने के हकदार है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जैसा की स्वयं वादीगण इस बात पर सहमत है कि खातेदार हजारी के प्राकृतिक पिता मथुरा पुत्र हीरा थे लेकिन मृतक हजारी अपनी बाल्यावस्था में मथुरा के भाई राध्या उर्फ राधेश्याम के गोद चले गए तथा राजस्व अभिलेख साक्ष्यवादी प्रदर्श 2 के अनुसार हजारी की वल्दीयद राध्या दर्ज है। अतः जब गोद जाना सर्वसम्मत है वह राजस्व अभिलेख में पूर्व से ही हजारी की वल्दीयत बिना किसी चुनौती के राध्या चली आ रही है तो हजारी तथा उसके वारिसान केवल राध्या की संपत्ति में ही अधिकार रख सकते हैं प्राकृतिक पिता मथुरा की संपत्ति में वह अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। अतः गंगाबाई अपने पति हजारी कृषि भूमि को ही प्राप्त करने की अधिकारी है। गंगाबाई वादी क्रम 2 को मथुरा पुत्र हीरा की भूमि के अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि उसका पति उसके प्राकृतिक पिता मथुरा पुत्र हीरा की संपत्ति में कोई हक या अधिकार नहीं रखता। वादी क्रम 2 हजारी पुत्र राध्या के नाम दर्ज साबिक ख0नं0 244/54 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 106/244 के रकबा 1.00 है0 में से 0.80 है0 भूमि पर खातेदार कृषक घोषित कराने की अधिकारी है। बचा हुआ 0.20 है0 सिवायचक दर्ज किया जावे। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. तनकी संख्या 3 ''आया मृतक हजारीलाल का अपने प्राकृतिक पिता मथुरा पुत्र हीरा की संपत्ति में हिस्सा नहीं बनता है'' को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। चूंकि तनकी संख्या 2 का विनिश्चय किया जा चुका है इस तनकी का निर्णय तनकी सं0 2 के अंतर्गत संभावित होने के कारण पृथक से किया जाने की आवश्यकता नहीं है तनकी 2 के निर्णय के अनुसार मृतक हजारीलाल का अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं बनता है अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

क्रियात्मक आदेश

1. ग्राम ककावता पटवार हल्टा सिनोता तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित ख0नं0 161 कुल रकबा 1.74है0 में से 1.60है0 पर वादी कम 1 (मांगीबाई पत्नि लटूरलाल) व वादी कम 3 (पारी बाई पुत्री मथूरा) प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का तथा वादी कम 4 ता 7 (कल्याण, रामनिवास पुत्रान मांगीलाल, भरोसी बाई, छोटा बाई पुत्रियां मांगीलाल) प्रत्येक को 1/12–1/12 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर ख0नं0 161 का पृथक खाता करने का आदेश दिया जाता है। शेष रकबा 0.14है0 सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे।
2. ग्राम ककावता ख0नं0 106/244 कुल रकबा 1.00है0 में से रकबा 0.80है0 भूमि पर वादी कम 2 (गंगा बाई पत्नि हजारी) को तन्हा खातेदार घोषित किया जाकर पृथक खाता कायम करने के आदेश प्रदान किया जाते है। शेष 0.20है0 रकबा सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे।
3. ग्राम ककावता ख0नं0 55 कुल 2.11 है0 में से 1.60है0 पर वादी कम 1 मांगीबाई पत्नि लटूरलाल को तन्हा खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पृथक खाता कायम करने हेतु आदेश प्रदान किया जाता है। शेष रकबा 0.51है0 को खाता सरकार सिवायचक दर्ज किया जावे।

ख0नं0	रकबा	वादी कम 1	वादी कम 3	वादी कम 4 ता 7
				1/12 प्रत्येक कुल
161	1.60है0	1/3	1/3	1/3

ख0नं	रकबा	वादी कम 2
		हिस्सा सम्पूर्ण
106/244	0.80है0	

ख0नं0	रकबा	वादी कम 1
		हिस्स सम्पूर्ण
55	1.60है0	

खाता सरकार सिवायचक दर्ज करने हेतु
ख0नं0 161 की 014है0
ख0नं0 106/244 की 0.20है0
ख0नं0 55 की 0.51है0
कुल किता 3 कुल रकबा 0.85है0

तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तद्नुसार डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
108 / 2025	28 / 08 / 2025	06.01.2026

1– मांगी बाई पत्नि लटूरलाल जाति गूजर निवासी ककावता
2– गंगा बाई पत्नि हजारीलाल जाति गूजर निवासी ककावता
3– पारी बाई पुत्री मथुरा जाति गूजर निवासी ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4– कल्याण माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूदीं राज०
5– रामनिवास माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूदीं राज० राज०
6– भरोसी बाई माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूदीं राज० राज०
7– छोटा बाई माता रूग्गी पिता मांगीलाल जाति गूजर निवासी ककावता तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास बलवन तह० इन्द्रगढ जिला बूदीं राज० राज०

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री श्याम बैरवा एड०।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

1. ग्राम ककावता पटवार हल्टा सिनोता तह० पीपल्दा जिला कोटा में स्थित ख०नं० 161 कुल रकबा 1.74है० में से 1.60है० पर वादी कम 1 (मांगीबाई पत्नि लटूरलाल) व वादी कम 3 (पारी बाई पुत्री मथूरा) प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का तथा वादी कम 4 ता 7 (कल्याण, रामनिवास पुत्रान मांगीलाल, भरोसी बाई, छोटा बाई पुत्रियां मांगीलाल) प्रत्येक को 1/12–1/12 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर ख०नं० 161 का पृथक खाता करने का आदेश दिया जाता है। शेष रकबा 0.14है० सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे।
2. ग्राम ककावता ख०नं० 106/244 कुल रकबा 1.00है० में से रकबा 0.80है० भूमि पर वादी कम 2 (गंगा बाई पत्नि हजारी) को तन्हा खातेदार घोषित किया जाकर पृथक खाता कायम करने के आदेश प्रदान किया जाते है। शेष 0.20है० रकबा सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे।
3. ग्राम ककावता ख०नं० 55 कुल 2.11 है० में से 1.60है० पर वादी कम 1 मांगीबाई पत्नि लटूरलाल को तन्हा खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पृथक खाता कायम करने हेतु आदेश प्रदान किया जाता है। शेष रकबा 0.51है० को खाता सरकार सिवायचक दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

ख0नं0	रकबा	वादी कम 1	वादी कम 3	वादी कम 4 ता 7
161	1.60है0	1/3	1/3	1/12 प्रत्येक कुल 1/3

ख0नं	रकबा	वादी कम 2
106/244	0.80है0	हिस्सा सम्पूर्ण

ख0नं0	रकबा	वादी कम 1
55	1.60है0	हिस्स सम्पूर्ण

खाता सरकार सिवायचक दर्ज करने हेतु
ख0नं0 161 की 014है0
ख0नं0 106/244 की 0.20है0
ख0नं0 55 की 0.51है0
कुल किता 3 कुल रकबा 0.85है0

तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है। डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 06.01.2026 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी